संख्या : 1416/77-6-12-08-(एम)/12टी.सी.IV

प्रेषक,

संजय प्रसाद,
सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 30 नवम्बर, 2012**

विषयः औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या- 2974/77-6-2003-41टैक्स/01 दिनांक- 06 नवम्बर, 2003 को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा संशोधित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना दिनांक- 04 सितम्बर, 2012 से लागू होगी। जिन इकाईयों की प्रथम विक्री की तिथि दिनांक- 04 सितम्बर के पूर्व पड़ती है, वह औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के अन्तर्गत ब्याज मुक्त ऋण की पात्र रहेंगी।

2. योजनान्तर्गत पूरे प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण, पशु-संपदा आधारित इकाईयों तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ऐसी नयी इकाईयों तथा पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुंदेलखण्ड में स्थापित होने वाली सभी नयी इकाईयों व विस्तारीकरण करने वाली इकाईयों जिनमें रू. 5.00 करोड़ या अधिक का स्थायी पूंजी निवेश/अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश किया गया हो तथा पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुंदेलखण्ड के अतिरिक्त अन्य जनपदों में स्थापित होने वाली खाद्य प्रसंस्करण, पशु-संपदा आधारित इकाईयों तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की इकाईयों को छोड़ कर अन्य समस्त ऐसी नयी इकाईयों व विस्तारीकरण करने वाली इकाईयों जिनमें स्थायी पूंजी निवेश/अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश रू. 12.5 करोड़ या अधिक किया गया हो, को प्रथम विक्री की तिथि से 10 वर्ष तक उनके द्वारा जमा किए गये वैट व केन्द्रीय विक्री कर के योग के समतुल्य धनराशि अथवा वार्षिक विक्रय धन की 10 प्रतिशत धनराशि, जो भी कम हो, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी जिसका भुगतान ऋण वितरण की तिथि से 7 वर्ष बाद एकमुश्त रूप में देय होगा।

3. यह योजना पिकप तथा उ.प्र. वित्तीय निगम के माध्यम से क्रियान्वित की जायेगी। योजना कि क्रियान्वयन हेतु आवश्यक बजट की धनराशि औद्योगिक विकास विभाग द्वारा पिकप/यू.पी.एफ.सी. को उपलब्ध कराई जायेगी।

4. उपर्युक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति विधायी स्वीकृति के पश्चात ही निर्गत की जायेगी।

कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त

भवदीय,

(संजय प्रसाद)
सचिव।

संख्या : 1416 (1)/77-6-12-08-(एम)/12 टी.सी.IV तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, गोमती नगर, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, कर विभाग
3. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. वित्तीय निगम तथा प्रबन्ध निदेशक, पिकप को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर प्रदेश के जनपदों को उक्त योजना की जानकारी भी प्रसारित करने की व्यवस्था करें।
4. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि योजना की 1500 प्रतियाँ मुद्रित करा कर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश तथा समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को मुद्रित प्रतियाँ प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
7. कर विभाग, अनुभाग-2
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कौशल राज शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या : 1416 (2)/77-6-12-08-(एम)/12 टी.सी.VI तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि कृपया इस योजना का समस्त समाचार पत्रों में व अन्य माध्यमों से समुचित प्रचार-प्रसार करवाने की कृपा करें। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 की प्रति संलग्न है।

संलग्नक- यथोक्त।

आज्ञा से,

(कौशल राज शर्मा)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या : 1599/77-6-12-08-(एम)/12टी.सी.IV
लखनऊ : दिनांक 30 नवम्बर, 2012

भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अन्तर्गत राज्य सरकार को दी गयी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुये शासनादेश संख्या 1416/77-6-12-08-(एम)/12टी.सी.IV दिनांक 30 नवम्बर, 2012 के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश में इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने तथा उत्पादन के प्रारम्भिक वर्षों में कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2012

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भः

1(1) यह नियमावली औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2012 कही जाएगी।

1(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।

1(3) यह दिनांक 4 सितम्बर 2012 से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं

क. 'बिक्री की प्रथम तिथि' का तात्पर्य चार्टेड एकाउन्टेंट से प्रमाणित, नये स्थायी पूँजी निवेश/अतिरिक्त स्थायी पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित माल की बिक्री/अतिरिक्त बिक्री (Incremental Turnover) की प्रथम तिथि से है।

ख. स्थायी 'पूँजी निवेश'/अतिरिक्त स्थायी पूँजी निवेश का तात्पर्य भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी तथा पूँजीगत् परिसम्पत्तियों में किये गये ऐसे निवेश से है जिसके माध्यम से निर्मित माल की बिक्री/अतिरिक्त बिक्री की प्रथम तिथि दिनांक 4 सितम्बर 2012 को या उसके बाद पड़ती हो।

स्थाई पूँजी निवेश की गणना हेतु उत्तर प्रदेश में पूर्व में प्रयोग की जा चुकी प्लाण्ट, मशीनरी तथा पूँजीगत् परिसंपत्तियों में किये गये निवेश को सम्मिलित नही किया जायेगा।

ग. 'पात्र इकाई' का तात्पर्य ऐसी नई/विस्तारीकरण करने वाली इकाई से है जिसके द्वारा नये स्थायी पूजी निवेश/अतिरिक्त स्थायी पूँजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री/अतिरिक्त बिक्री की प्रथम तिथि 4 सितम्बर 2012 को या उसके बाद पड़ती हो तथा जिसमें पूरे प्रदेश में खाद्य प्रंसस्करण, पशु सम्पदा आधारित तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ऐसी नयी इकाइयों तथा विस्तारीकरण करने वाली इकाइयों तथा पूर्वान्चल, मध्यान्चल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली सभी नयी इकाइयों व विस्तारीकरण करने वाली इकाइयों जिनमें रू. 5 करोड़ या अधिक का स्थायी पूँजी निवेश/अतिरिक्त स्थायी पूँजी निवेश किया गया हो तथा पूर्वान्चल, मध्यान्चल व बुन्देलखण्ड के अतिरिक्त अन्य जनपदों में खाद्य प्रसंस्करण, पशु सम्पदा आधारित तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की इकाइयों को छोड़कर

अन्य समस्त ऐसी नयी इकाइयों व विस्तारीकरण करने वाली इकाइयों जिनमें स्थायी पूँजी निवेश/अतिरिक्त स्थायी पूँजी निवेश रू. 12.50 करोड़ या अधिक किया गया हो।

घ. नयी इकाई का तात्पर्य किसी ऐसी पात्र इकाई से है जिसकी प्रथम बिक्री की तिथि दिनांक 4 सितम्बर 2012 अथवा उसके बाद पड़ती हो तथा जिसके द्वारा किसी अधिनियम/नियम के अन्तर्गत पंजीकरण प्राप्त कर लिया गया हो अथवा जिसने भारत सरकार के उद्योग विभाग से आशय पत्र अथवा इच्छा पत्र का स्वीकृति पत्र प्राप्त कर लिया हो।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी वर्तमान इकाई के निर्माण स्थल पर पूर्व में निर्मित वस्तु के निर्माण हेतु वर्तमान इकाई के स्वामियों द्वारा लगाई जाने वाली इकाई को नई इकाई नही माना जायेगा।

ड. विस्तारीकरण करने वाली इकाई का तात्पर्य किसी ऐसी पात्र इकाई से है जिसकी अतिरिक्त बिक्री (Incremental turn-over) की प्रथम तिथि सितम्बर 4 या उसके बाद पड़ती हो तथा जिसमें मूल स्थायी पूँजी निवेश (डिप्रिसियेशन का लाभ दिये बिना) का कम से कम 25 प्रतिशत अतिरिक्त स्थायी पूँजी निवेश किया गया हो तथा अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता में कम से कम 25 प्रतिशत वृद्धि की जाये।

प्रतिबन्ध यह है कि विस्तारीकरण करने वाली इकाइयों को विस्तारीकरण के ठीक पूर्व में लगातार तीन वर्षों में से किसी वर्ष के अधिकतम वार्षिक विक्रय धन से अतिरिक्त विक्रय धन (Incremental Turnover) पर भुगतान किये गये वैट तथा केन्द्रीय बिक्री कर के योग के समतुल्य धनराशि अथवा अतिरिक्त विक्रय धन की 10 प्रतिशत धनराशि, जो भी कम हो, पर ही योजना के अन्तर्गत ब्याज मुक्त ऋण का लाभ उपलब्ध होगा।

च. पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड एवं मध्यांचल का तात्पर्य अनुलग्नक-1 में उल्लिखित मण्डलों से है।

छ. 'वार्षिक विक्रय धन' का तात्पर्य पात्र इकाई द्वारा किये गये नये स्थायी पूँजी निवेश/अतिरिक्त स्थायी पूँजी निवेश से निर्मित माल की दिनांक 01 अप्रैल अथवा, यथास्थिति, बिक्री/अतिरिक्त बिक्री की प्रथम तिथि से अग्रिम 31 मार्च की अवधि में, की गयी बिक्री से है।

ज. ''पिकप'' का तात्पर्य दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ यू.पी. लिमिटेड से है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन कम्पनी है।

झ. ''यू.पी.एफ.सी.'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश फाइनेन्शियल कारपोरेशन से है जो राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा-3 के तहत गठित वित्तीय निगम है।

ट. 'ऋण वितरण की तिथि' का तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा इकाई को ब्याज मुक्त ऋण की

धनराशि का चेक अथवा अन्य किसी माध्यम से धनराशि उपलब्ध करा दी जायें।

ड. 'ऋण भुगतान की तिथि' उस तिथि को माना जाएगा जिस दिन इकाई द्वारा पिकप/यू.पी.एफ.सी. को ब्याज मुक्त ऋण की वापसी की धनराशि का बैंक ड्राफट अथवा अन्य किसी माध्यम से धनराशि उपलब्ध करा दी जायें।

ढ. 'वर्ष' का तात्पर्य दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।

3 ब्याज मुक्त ऋण की अवधि

पात्र इकाइयों द्वारा नये पूँजी निवेश/अतिरिक्त पूँजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री/अतिरिक्त विक्रय धन की प्रथम तिथि से 10 वर्ष तक होगी।

4 ऋण की सीमा

किसी वर्ष में ऋण की सीमा जो किसी भी दशा में इकाई द्वारा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय-धन/अतिरिक्त विक्रय धन अथवा यथास्थिति उस वर्ष की अवशेष अवधि के विक्रय धन/अतिरिक्त विक्रय धन पर उत्तर प्रदेश वाणिज्य-कर अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किये गये कर के योग की धनराशि अथवा यथास्थिति उस वर्ष की अवशेष अवधि के विक्रय धन/अतिरिक्त विक्रय धन के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

5 ऋण स्वीकृति तथा वसूली की प्रक्रिया

5 (1) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति की अग्रिम 30 सितम्बर तक पात्र इकाई ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र तथा अपने वार्षिक विवरण पत्रों की चार्टेड एकाउन्टेंट से प्रमाणित तीन प्रतियॉ पिकप/यू.पी.एफ. सी. को देगीं। पात्र इकाई प्रार्थना पत्र देने के पूर्व स्वीकृत वाणिज्य कर तथा केन्द्रीय बिक्रीकर की धनराशि, नियमानुसार राजकीय कोषागार में जमा करेगी। ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र देने के लिये औद्योगिक इकाइयों का वर्गीकरण निम्न प्रकार होगा :-

पूरे प्रदेश में ऐसी पात्र खाद्य प्रसंस्करण, पशु सम्पदा आधारित तथा सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों तथा पूर्वान्चल, बुन्देलखण्ड व मध्यांचल में स्थापित होने वाली समस्त इकाइयों जिनमें स्थायी पूँजी निवेश/अतिरिक्त स्थायी पूँजी निवेश रू. 5 से 10 करोड़ हो तथा उपरोक्त से भिन्न सभी इकाइयाँ जिनमें स्थायी पूँजी निवेश/अतिरिक्त स्थायी पूँजी निवेश रू.12.50 से 25 करोड़ तक हो ब्याज मुक्त ऋण हेतु यू.पी.एफ.सी.को आवेदन करेगी।

उपरोक्त से भिन्न सभी इकाइयाँ ब्याज मुक्त ऋण हेतु पिकप को आवेदन करेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई पात्र इकाई वर्ष की समाप्ति के अग्रिम 30 सितम्बर तक ब्याज मुक्त ऋण हेतु आवेदन नही देती है तो विलम्ब की अवधि उसकी 10 वर्ष की पात्रता अवधि के अंतिम वर्ष से घटा दी जायेगी तथा इकाई अवशेष अवधि के लिये ही ब्याज मुक्त ऋण की पात्र होगी।

5(2) पिकप/यू.पी.एफ.सी. पात्र इकाई को नये स्थायी पूँजी निवेश/अतिरिक्त स्थायी पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित माल

के उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन/अतिरिक्त विक्रय धन पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर तथा केन्द्रीय बिक्रीकर के योग के समतुल्य धनराशि अथवा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन/अतिरिक्त विक्रय धन अथवा यथास्थिति उस वर्ष की अवशेष अवधि के विक्रय धन/अतिरिक्त विक्रय धन के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, के समतुल्य धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में स्वीकृत करेंगें।

5 (3) प्रबन्ध निदेशक पिकप/यू.पी.एफ.सी. का यह दायित्व होगा कि ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण प्रार्थना पत्र के प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कर दिया जाए। प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये जाने की दशा में अस्वीकरण के कारणों का उल्लेख करते हुये इकाई को अग्रिम एक सप्ताह में लिखित रूप से सूचित कर दिया जाएगा। अस्वीकरण के विरुद्ध इकाई सचिव, औद्योगिक विकास विभाग को प्रार्थना पत्र दे सकती है जिस पर निर्णय प्रस्तर-12 में गठित समिति द्वारा इकाई को सुनवाई का अवसर देने के बाद लिया जाएगा।

5(4) ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा का लाभ उठाने के पश्चात ऋण भुगतान की अंतिम तिथि के अगले 5 वर्ष तक इकाई बन्द न कर दी जाये इस हेतु व्यवस्था मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैडिंग (एम.ओ.यू.) के माध्यम से पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा की जायेगी।

5(5) पिकप/यू.पी.एफ.सी. ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृति आदेश की प्रति औद्योगिक विकास विभाग तथा पात्र इकाई को भेजेंगे। योजना अन्तर्गत ऋण हेतु धनराशि औद्योगिक विकास विभाग आवश्यकतानुसार पिकप/यू.पी.एफ.सी को उपलब्ध करायेंगे।

5(6) पिकप/यू.पी.एफ.सी. को स्वीकृत ऋण राशि का लेखा शीर्षक वित्त विभाग द्वारा बाद में आवंटित किया जाएगा।

5(7) प्रत्येक वर्ष वसूल हुये ऋण तथा ब्याज को उसी वर्ष में उपरोक्त ऋण लेखा शीर्षक के प्राप्ति पक्ष में जमा किया जायेगा।

5(8) औद्योगिक विकास विभाग उपरोक्त ऋण लेखा शीर्षक के नियंत्रक व प्राक्कलन अधिकारी होंगे। वह लेखा शीर्षक के बजट तथा पुनरीक्षित अनुमान प्रस्तावित करेंगे तथा आवश्यकतानुसार अनुपूरक मांग का प्रस्ताव करेंगे।

5(9) वितरित किये गये ऋण की वापसी ऋण वितरण की तिथि के 7 वर्ष की समाप्ति की ठीक बाद की तिथि तक पात्र इकाई द्वारा पिकप/यू.पी.एफ.सी. को बैंक ड्राफ्ट/इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेन्स के माध्यम से की जाएगी।

5(10) निर्धारित अवधि में ऋण की राशि वापस न करने पर पात्र इकाई को देरी की अवधि के लिये 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज देना होगा। प्रत्येक माह अथवा उसके भाग को इस हेतु एक माह माना जायेगा।

5(11) ब्याज मुक्त ऋण योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये

इकाई द्वारा वापस की गई धनराशि का समायोजन पहले मूलधन में किया जाएगा। उसके पश्चात अवशेष धनराशि का समायोजन देय ब्याज, यदि कोई हो, में किया जाएगा।

5(12) पात्र इकाई अपनी परिसम्पत्तियों पर पिकप/यू.पी.एफ.सी. के पक्ष में प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार उत्पन्न करेंगी जो ऋण की धनराशि की सुरक्षा के लिये पर्याप्त हो। पिकप/यू.पी.एफ.सी. युक्तियुक्त कारणों को अभिलिखित करते हुये द्वितीय प्रभार के अतिरिक्त पात्र इकाई के साझेदारों, निदेशकों से अतिरिक्त ज़मानत अथवा पर्सनल-बॉण्ड मांग सकते हैं। पात्र इकाई से प्रतिभूति की कमी को आवश्यकतानुसार कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में भूमि/भवन लेकर पूर्ण किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त इस प्रकार प्राप्त की गयी परिसम्पत्तियों की ग्रहणाधिकार (lien) सम्बन्धित विधिक औपचारिकताएं पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

इकाई द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक से ब्याज मुक्त ऋण के समतुल्य बैंक गारन्टी (सम्पूर्ण ऋण अदायगी की अवधि के लिये) भी स्वीकार किया जा सकता है।

5(13) निर्धारित तिथि पर भुगतान न किये जाने की दशा में पिकप/यू.पी.एफ.सी. पात्र इकाई को कारण बताओं नोटिस देंगे तथा संतोषजनक उत्तर न प्राप्त होने पर इकाई के विरूद्ध बकाया धनराशि की भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु 'वसूली प्रमाण-पत्र' जारी करेंगे तथा आवश्यकतानुसार न्यायालय में वाद भी दायर करेगें या अन्य समुचित विधिक कार्यवाही करेगें व लिमिटेड कम्पनी की दशा में उसकी वाइन्डिंग-अप के लिये सक्षम न्यायालय से अनुरोध करेगें।

5(14) पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा अधिकृत अधिकारी पात्र इकाई की फैक्ट्री, दुकान, गोदाम वाहन तथा अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि इकाई द्वारा योजना की शर्तो का उल्लंघन तो नही किया जा रहा है।

5(15) इस योजना के अन्तर्गत ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उन्हीं पात्र इकाइयों को स्वीकृत की जाएगी जो राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा वित्तीय संस्थाओं के देयों के भुगतान में वितिथी (डिफॉल्टर) न हों तथा इस संबध में आवश्यक प्रमाण पत्र उनके द्वारा पिकप/यू.पी.एफ.सी. को उपलब्ध कराया जाए।

6 प्रतिबन्ध

पात्र इकाई पर प्रतिबंध होगा कि वह बिना पिकप/यू.पी.एफ.सी. के पूर्व लिखित स्वीकृति के न तो इकाई के कॉन्स्टीट्यूशन, फैक्ट्री तथा पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन करेंगे और न ही इकाई अपनी परिसम्पत्तियों को बेचेगी, किराये पर देगी या परिसम्पत्ति के स्वामित्व में कोई परिवर्तन करेगी।

7 शर्त-6 के उल्लघंन का प्रभाव

यदि पात्र इकाई द्वारा उपरोक्त प्रस्तर-6 की किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है अथवा गलत तथ्य उपलब्ध कराये जाते हैं तो पिकप/यू.पी.एफ.सी. को इकाई को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात,

स्वीकृत ऋण निरस्त करने का अधिकार होगा तथा ऐसे आदेश की प्राप्ति तिथि को सम्पूर्ण अवशेष धनराशि देय हो जायेगी। अवशेष ऋण के भुगतान में देरी की दशा में पात्र इकाई ऋण देय होने की तिथि तथा वास्तविक भुगतान की तिथि की अवधि के लिये 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज की देनदार होगी।

8 पात्र इकाई के दायित्व

ऋण देयता की अवधि में, पात्र इकाई के लिये निम्नलिखित व्यवस्था आवश्यक होगी :-

i. उन सभी अनुबन्ध तथा अभिलेखों को निष्पादित किया जायेगा जो पिकप/यू.पी.एफ.सी के मतानुसार आवश्यक हो।

ii. वह सभी सूचनायें पिकप/यू.पी.एफ.सी. को उपलब्ध करायी जायेंगी, जो उनके द्वारा अपेक्षा की जायें।

9 न्यायालय के क्षेत्राधिकार

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्राधिकृत संस्थाओं के मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा इकाई को ''अण्डर सर्टिफिकेट आफ पोस्टिंग'' से भेजी गयी सूचना/नोटिस आदि विधिवत् तामील मानी जायेगी।

10 व्यय भार

ब्याज मुक्त ऋण में आने वाले सभी व्यय जिसमें विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सॉलिस्टर शुल्क व अन्य अनुषांगिक व्यय शामिल हैं, पात्र इकाई द्वारा अग्रिम रूप में देय होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त ब्याज मुक्त ऋण की धनराशि का दो प्रतिशत प्रशासनिक व्यय भी पात्र इकाई द्वारा दिया जायेगा।

11 अनुबन्ध

इस नियमावली के प्रतिबंध/प्राविधान लागू करने के लिये पात्र इकाई पिकप/यू.पी.एफ.सी. के साथ अनुबन्ध निष्पादित करेगी।

12 समस्याओं का समाधान तथा योजना का अनुश्रवण

i. इस योजना के किसी बिन्दु पर शंका निवारण अथवा समस्या समाधान हेतु आदेश औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।

ii. इस योजना के अन्तर्गत कार्यवाही का अनुश्रवण प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित एक समिति करेगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे :-

क. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त

ख. प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग।

ग. प्रबन्ध निदेशक, पिकप।

घ. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम।

ड. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।

आज्ञा से,

(संजय प्रसाद)
सचिव।

अनुलग्नक - 1

पूर्वान्चल		बुन्देलखण्ड		मध्याँचल	
फैजाबाद मण्डल		**झाँसी मण्डल**		**कानपुर मण्डल**	
1	फैजाबाद	1	झाँसी	1	कानपुर नगर
2	अम्बेडकरनगर	2	जालौन	2	कानपुर देहात
3	बराबंकी	3	ललितपुर		(रमाबाईनगर)
4	सुल्तानपुर	**चित्रकूट मण्डल**		3	इटावा
5	अमेठी	4	बांदा	4	औरैया
गोरखपुर मण्डल		5	चित्रकूट	5	फर्रूखाबाद
6	गोरखपुर	6	हमीरपुर	6	कन्नौज
7	देवरिया	7	महोबा	**लखनऊ मण्डल**	
8	महराजगंज			7	लखनऊ
9	कुशीनगर			8	हरदोई
इलाहाबाद मण्डल				9	लखीमपुर खीरी
10	इलाहाबाद			10	रायबरेली
11	कौशाम्बी			11	सीतापुर
12	फतेहपुर			12	उन्नाव
13	प्रतापगढ़				
वाराणसी मण्डल					
14	वाराणसी				
15	चन्दौली				
16	जौनपुर				
17	गाजीपुर				
मिर्जापुर मण्डल					
18	मिर्जापुर				
19	सन्तरविदासनगर (भदोही)				
20	सोनभद्र				
आजमगढ़ मण्डल					
21	आजमगढ़				